

Phone-0120-2783617 Fax-0120-2783618 E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद। पत्रांकः 2800 /14-1, दिनांक, गाजियाबाद ०-१ नवम्बर, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

विषय:-

चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 है0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 54.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 2500 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

1-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/433 दिनांक 06.10.2021 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक-1175/11सी0- FP/UP/ROAD/121197/

3—आपका पत्रांक— 1281 / 14—1 दिनांक 07.10.2021.

महोदय,

आपके सन्दर्भित पत्र से प्राप्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:—

क्र0सं0	वांछित सूचना	
	During site inspection, certain work like pillar construction at three places in Ghaziabad district was observed. The DFO Ghaziabad, Meerut and Muzaffar Nagar need to submit a Site Inspection Report after inspecting and assessing the status of violation as per FCA guidelines. Further compliance in accordance with the guidelines with respect to violation is required.	अनुपालन आख्या उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं0–1 में स्थलीं निरीक्षण के महत्तवपूर्ण बिन्दु सं0–1 में गाजियाबाद जनपद के अन्तर्गत पड़ने बाल प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रफल में तीन स्थलें पर पिलर्स जैसी संरचना का निर्माण कार्य दख गया जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.10.2021 के अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरो कि0मीं0 चैनेज मील 94.00 से 100.5 तक का निरीक्षण पुन क्षेत्रीय बनाधिकारी, मोदीनगर रंज एव रेज बन कार्मियों की उपस्थिति में किया गया। तीन स्थलों पर होने बाला निर्माण कार्य संरक्षित वन क्षेत्र में नहीं किया पाया गया। यह निर्माण कार्य मुख्यतः तीन पुलो से सम्बन्धित है जो कि नहर एवं सिचाई विभाग की Cart Road के मध्य हैं। Cart Road की चौड़ाई खड़ेज सहित लगभग 4.50 मीं0 है तदोपरान्त संरक्षित वन क्षेत्र का क्षेत्रफल शुरू होता है। (फोटोग्राफस संलग्न हैं।)

(11)	The a	re large r	umba				उक्त निर्माण कार्य में गैर सरक्षित क्षेत्र का इ होने के कारण FCA के प्राविधानों का उल्ल वर्तमान में परीलिक्षित नहीं हुआ हैं। उक्त नि कार्य में यदि FCA के प्राविधानों का काई उल्लंधन भविष्य में पाया जाता है तो न्यायों एवं नियमानुसार कार्यवाही सत्काल अमल लायी जायेगी।
/m/	the PF, while the outer periphery towards farmer's land it is almost blank. During the inspection, irrigation department was of the view that road construction can be religned to the outer periphery of RHS of Upper Ganga Canal. This Suggestion sound pretty good because the average width of RHS all along is approx. 60 mt from the verm of the Canal. Following benefits will be prominently known like: a. If the alignment is shifted to extreme right side of the RHS, future encroachment of the irrigation department land will be protected.						सहमत है।
	b.Secondly, farmers whose land will be adjoining to road, will have commercially valuable land and will be more useful.					सहमत है।	
	C.Thirdly, any commercial establisment will be functional without further page.						
мериного сонировення поставля в крадици.	noticed that in the LHS, various commercial hotels/dhabas, Shops have been opened up and all has acess through PF without Gol approval, which is a clear cut case of violation. d.Lastly, There is less number of trees standing in the periphery of all the RHS of Linear Co.						अवैध खोकों को क्षेत्रीय वन अधिकारी मोदीनगर द्वारा रेंज वन कर्मियों के साथ हटा दिया गया है। (स्नोदोः ग्राफं संलग्न हैं।)
Windows and the second					***************************************		श्रामः सलान हा)
	d.Lastly, periphery ess num sought fi fistrict or	There is of all the ber of tre	es will State	be felter Forest t	d. An estir	nding in the ana, hence mation was tof every	गाजियाबाद वन प्रभाग में पूर्व सरेखण के अनुसार 2281 पौधें हैं तथा वर्तमान बदले दुयें सरेखण के अनुसार 1778 पौधे आते हैं। जिनका अन्तर 2281—1778 = 503
	d.Lastly, periphery ess num sought fi fistrict or and the d	There is of all the ber of the form the RHS cetails are	ees wil State f exist as un	be felter Forest t	No. of trees after changing the new	nding in the ana, hence mation was tof every	गाजियाबाद वन प्रभाग में पूर्व सरेखण के अनुसार 2281 पौधें हैं तथा वर्तमान बदले दुये संरेखण के अनुसार 1778 पौधे आते हैं। जिनका अन्तर 2281 1778
	d.Lastly, periphery ess num sought fi fistrict or and the d	There is of all the ber of tree from the RHS cetails are	State of exist as uni	Forest I ing and :	No. of trees after changing	nding in the ana, hence mation was tof every alignment	गाजियाबाद वन प्रभाग में पूर्व सरेखण के अनुसार 2281 पौधें हैं तथा वर्तमान बदले दुये संरेखण के अनुसार 1778 पौधे आते हैं। जिनका अन्तर 2281 1778
	d.Lastly, periphery ess num sought fi fistrict or and the d	There is of all the ber of the form the RHS cetails are	State of exist as unit	Forest (ing and sider: No. of Troes In present alignment	No. of trees after changing the new alignment 739	nding in the ana, hence mation was to fevery alignment	गाजियाबाद वन प्रभाग में पूर्व सरेखण के अनुसार 2281 पौधें हैं तथा वर्तमान बदले दुये संरेखण के अनुसार 1778 पौधे आते हैं। जिनका अन्तर 2281 1778
	d.Lastly, periphery ess num sought fi fistrict or and the di District Mearut	There is of all the ber of the common the RHS cetails are Place	State of exist as und	No. of Troes In present alignment 1565 1789 2281	No. of trees after changing the new alignment	nding in the ana, hence mation was to of every alignment Difference 826 534	गाजियाबाद वन प्रभाग में पूर्व सरेखण के अनुसार 2281 पौधें हैं तथा वर्तमान बदले दुये संरेखण के अनुसार 1778 पौधे आते हैं। जिनका अन्तर 2281 1778

अतः उप वन महा निरिक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-8बी/यू०पी०/06/221/2021/एफ०सी०/433 दिनाक 06.10.2021 के अनुपालन में गाजियाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित वांछित सूचनाए/अभिलेख चार प्रतियां मं संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलान - उपरीक्तानुसार्।

भवदीया, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

संख्या 2300 / 14 r/ दिनांकित। प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ

2) मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, मेरठ

3) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग मेरठ

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।















